न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 49 / 2004

1. कानाराम पुत्र श्री जसराम जाति कुम्हार निवासी 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकरावाली 13 एन.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुल्तानसिंह पुत्र श्री रेवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकरावाली 13 एन.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसराम पुत्र श्री नाम नामालूम जाति कुम्हार निवासी पठानवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कल्याणसिंह पुत्र श्री सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ठाकरावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री काशीराम रिणवा अधिवक्ता	वादी
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 4
3. श्री तेजासिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 2
4. श्री पी.डी. सोनी अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 3

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 23-5-17

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.12.1997 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय 02.03.2002 के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर न्यायालय को प्राप्त हानें पर दर्ज रजिस्टर किया गया

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि चक 13 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 का 7.10 बीघा रकबा पूर्णसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति राजपूत साकिन ठाकरावाली तहसील श्रीगंगानगर का खातेदारी था पूर्णसिंह नें यह रकबा दिनांक 22.01.1985 को वादी को बेचान कर दिया और इस विक्रय के अनुसार वादी इस भूमि का खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में भी अमल दरामद हो चुका है क्रय किये गये रकबे का कब्जा अभी मेरे पास है प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णसिंह का पुत्र है और वादी द्वारा भूमि क्रय करने से नाराज होकर रंजिश रखता है व प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में नाजायज रूप से दखल देता है। व इसनें एक नाजायज गिरोह भी बना रखा है।

वादी क्रय किये गये रकबे पर शान्तिपूर्वक काबिज है प्रतिवादी इस रकबा पर कब्जा करनें के लिये उतारू है व मुझ वादी को बेदखल कर देगा तो अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वादी विवादग्रस्त भूमि चक 13 एल.एन.पी. मुरब्बा नम्बर 34 के 7.10 बीघा पर काबिज वादी में से किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रतिवादी न करे और भूमि से

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

करनें से बेदखल करनें से निषेध रहे। मुझ वादी द्वारा प्रतिवादी को रकबा बेदखल न करनें में कई बार रोका उसनें कोई गौर नहीं किया वादी द्वारा प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की चाही है, कि विवादित रकबा चक 13 एल.एन.पी. के नम्बर 34 किला नम्बर 13/.10, 14 ता 17/4.00 बीघा, 18/.10, 23/.10, 24, 25 कुल 7.10 बीघा कब्जा वादी में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करनें से व वादी को इस से बेदखल करनें से निषेध रहे। दावा डिक्री फरमाया जावे वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के इन्तकाल संख्या 130 व जमाबन्दी सम्वत् 2043 कर सत्य प्रतियां पेश की।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा विवादित रकबा जद्दी जायदाद होना बताकर पूर्णसिंह को अपनें पिता से जो विरासतन प्राप्त हुआ है उसमें उसका 1/5 हिस्सा बनता है जबकि पूर्णसिंह द्वारा अपने कर यह रकबा बेच दिया गया जो कि अविभाजित हिन्दू संयुक्त परिवार की थी वरना कोई बेचनें का अधिकार नहीं था इसी रकबा के सम्बंध में देवेन्द्रसिंह बगैरा नें एक वाद अलग से 88/53 आर.टी.ए का अदालत में पेश करना अंकित किया है व उसका निर्णय नहीं हुआ है यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी नें अपनें जबाब दावा में अपनें पिता पूर्णसिंह द्वारा बेचे गये रकबा को अधिकार से बाहर होकर बेचान बताया है।

उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाबदावा पेश करनें पर माननीय न्यायालय नें तनकियात कायम की जाकर विधिनुसार दिनांक 29.12.1997 को निर्णय पारित किया।

उक्त निर्णय से प्रतिवादी संख्या 1 व्यथित होकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील दायर किये जानें पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.03.2002 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 29.12.1997 को निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया गया।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.03.2002 की पालना में वकील वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश करनें पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बतौर प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया गया। तथा कल्याणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जो स्वीकार होनें पर कल्याणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जबाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है उसमें सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये दावा मिसजो आईन्डर आफ पार्टी के आधार पर काबिल खारिज है

चक 13 एल.एन.पी. सैकिण्ड खाता संख्या पुराना 14 नया 11 के मुरब्बा नम्बर 34 में कल्याण के नाम से 1.265 हैक्टर अंचल सिंह के नाम से 1.285 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में है इसके साथ गिरधारी लाल व खिराज 1.265 हैक्टर शिवली बाई के नाम 0.379 हैक्टर राजरानी पत्नी बेदप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इन सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये दावा चल नहीं सकता है दावा काबिले खारिजी है।

प्रतिवादी संख्या 2 राजरानी को रकबा बेच दिया है प्रतिवादी के नाम से कोई भूमि नहीं है प्रतिवादी को बिना वजह परेशान किया जा रहा है इसलिये वादी का दावा प्रतिवादी के विरूद्ध मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी को 5500 रूपये व्यय दिलाये जावे। अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में यद्यपि वादी के नाम से 1.897 हैक्टर कृषि भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज है।

लगातार 3

(राजस्व)

चक 13 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 13 में 0.10, 14 ता 17 प्रत्येक सालम 18 ता 23 आधा–आधा बीघा तथा किला नम्बर 24, 25 सालम कुल 7.10 बीघा रिकार्ड में दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर कोई कब्जा वादी का है विक्रय पत्र की जानकारी नहीं होनें से वादी सिद्ध करे।

मुश्तर्का खाता में प्रत्येक इन्च की कृषि भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व अधिकार होता है वादी का यह कथन है, कि वादी के पास मुश्तर्का खाते में मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 13 ता 18 तथा किला नम्बर 23 ता 25 की 7.10 बीघा पर कब्जा काश्त है कतई स्वीकार्य नहीं है वादी किलाजात विशेष पर अना कब्जा नहीं कह सकता है जब तक की बंटवारा का दावा नहीं हो।

वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाये जानें के पश्चात वाद पत्र में कानूनन आवश्यक संशोधन नहीं करवाया है इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद कारण हासिल नहीं होनें से वाद पत्र खारिज किये जानें योग्य है।

वादी का वाद पत्र केवल स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाके चक 13 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 13 का 10 बिस्वा किला नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम किला नम्बर 18 व 23 प्रत्येक की 10–10 बिस्वा तथा किला नम्बर 24, 25 प्रत्येक सालम कुल 7.10 बीघा में प्रतिवादी मदाखलत बेजा नहीं करें जबकि कृषि भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज होनें से वाद संधारण योग्य नहीं है

वाद ग्रस्त कृषि भूमि 7.10 बीघा मुश्तर्का खाता में दर्ज होनें से किलाजात विशेष की जब तक घोषणा का अनुतोष नहीं होनें से वाद खारिज किये जानें योग्य है। अतः वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त जबाब दावा के पश्चात पूर्व निधारित तनकियात के अतिरिक्त तनकी नम्बर 5 कायम की गई, क्या वादी मुश्तर्का खाता में किलाजात विशेष पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है ? जिसको सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 4 पर था।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जबाब दावा को साबित करनें के लिये अपनें साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाकर जबाबदावा के कथनों को ही दोहराया गया। जिरह में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कथन किया गया कि मरे पिता का नाम सुल्तानसिंह है सुल्तानसिंह के पिता का नाम रेवन्तसिंह है। पूर्णसिंह मेरे पिता का सगा बड़ा भाई था पूर्ण सिंह की इस खाते में साढे बारह बीघा भूमि थी पूर्णसिंह नें इस भूमि में से 17 एम.एल. में कोई जसराम है उसको बेच दी थी पूर्णसिंह नें साढे सात बीघा बाकि बची जमीन कानाराम आदि को बेची या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। आज खुद कहा कि जमाबन्दी में इस खाते में साढे सात बीघा जमीन कानाराम के नाम से है हीरासिंह पूर्ण सिंह के दादा थे मुझे पता नहीं है विशाल कवंर कौन थी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विशाल कंवर के मरनें के बाद यह जमीन पूर्णसिंह व उसके भाई सुल्तानसिंह को मिली हो भूपेन्द्रसिंह पूर्णसिंह का बड़ा लडका है, मेरे ताये का बेटा है, मुझे ध्यान नहीं कि बयनामें को निरस्ती का कोई दावा किया हो मुझे मालुम नहीं की दावा खारिज हो गया हो इस मुश्तर्का खाते में दो भाईयो के 10 बीघा भूमि है। इस खाते में कुल 25 बीघा सुल्तानसिंह के पास साढे बारह बीघा भूमि थी जो उसनें 10 बीघा जमीन मुझे व मेरे भाई अचलसिंह को दे दी है और ढाई बीघा भूमि उसनें बेच दी है इस खाते में रवी कुमार, भवरलाल की 3 बीघा भूमि मै उन्हे नहीं जानता इस भूमि में सब आदमियों का कब्जा अलग अलग है मेरे कब्जे में किला नम्बर 1, 2 सालम 3 आधा 8 आधा 9 पूरा, 10 पूरा, 11 पूरा अचलसिंह के पास उक्त 10 किले जमीन है रवी कुमार के कौनसे किले कब्जे में है मुझे पता नहीं है, कानाराम को मै नहीं जानता मौके पर कानाराम का कोई

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कब्जा नहीं है, शेष साढे सात बीघा भूपेन्द्र सिंह और उसके भाईयों के पास है भूपेन्द्र सिंह के कब्जे की जमीन से हमारा कोई सम्बंध नहीं है यह कहना गलत है, कि साढे सात बीघा जमीन कानाराम के कब्जे में हो और भूपेन्द्रसिंह के कब्जे मे नहीं इस खाते में मेरा हित मेरे कब्जे की जमीन तक ही है मरे कब्जे वाली जमीन में कानाराम नहीं आ रहा है मैने कानाराम को नहीं देखा।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें वाद पत्र तथा जबाबदावा को ही दोहराया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा संयुक्त खाते की भूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत अनुतोष चाहा है।

संयुक्त खाते की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार को प्रत्येक ईन्च पर उसके हिस्सा अनुसार हिस्सा होनें के कारण वादी को वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

–:: आदेश ::–

चूँकि वादग्रस्त भूमि सुयंक्त खाते की भूमि है, ऐसी संयुक्त भूमियों में समस्त खातेदारान अपनें अपनें हिस्सानुसार अपना हक हकूक रखते है। अतः किसी एक सहखातेदार को अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध निषेधाज्ञा लाये जानें का अधिकार नहीं है।

वाद में वादी द्वारा अपनें सहखातेदारन के विरूद्ध किला विशेष के लिये निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा है उक्त वाद में वादी द्वारा समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का वाद पेश किया है, इसलिये वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष बिना खाता विभाजन के दिया जाना सम्भव नहीं है। वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन का पृथक से वाद लानें के लिये स्वतन्त्र है।

अतः वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के द्वारा चाहे गये अनुतोष में भूमि संयुक्त खाते की होनें के कारण वाद वादी वर्तमान स्तर पर काबिले खारिज होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 2 एम.एल. में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर